संख्या-38/001/91हा0को0-25-27-3099-114-2025

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2025**

विषयः रिट टैक्स संख्या-2117/2025 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में remaining amount of tax in dispute रूपये 2,17,90,434.00 का 10 प्रतिशत रूपये 21,80,000.00 का आवंटन कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-420/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/कनहर, दिनांक 29.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3 पिपरी, सोनभद्र से संबंधित रिट टैक्स संख्या-2117/2025 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में अधिरोपित टैक्स के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 21,80,000.00 (रूपये इक्कीस लाख, अस्सी हजार मात्र) का भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3 पिपरी, सोनभद्र से संबंधित रिट टैक्स संख्या-2117/2025 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में अधिरोपित टैक्स के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 21,80,000.00 (रूपये इक्कीस लाख, अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 21,80,000.00 (रूपये इक्कीस लाख, अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विन्ध्याचल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) मुख्य अभियन्ता (कनहर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मीरजापुर।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, सोनभद्र।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी, सोनभद्र।
(10) अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3 पिपरी, सोनभद्र।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।